

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

Phone-0122-2300150 पत्रांक <u>2887</u> / 14-1, दिनांक, हापुड़,

Fax-0122-2300150 E-mail-dfohapur@gmail.com 20, फरवरी, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त,

मेरट।

विषय:

जनपद हापुड़ में इन्द्रप्रस्थ गैस लि०, आई०जी०एल० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०- 24 (नई सं०- 09) के दिल्ली— लखनऊ मार्ग किमी० 34.00 से किमी० 49.80 तक कुल 15.80 किमी० सडक के किनारे पर भूमिगत 12 इंच तथा 125 एमएम (2 इंच की व्यास की डक्ट) बिछाये जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2 उ०प्र० शासन की पत्र संख्या— पी— 77 / 81-2-2021-800 (73) / 2021, दिनांक 08.04.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या— 13 के क्रम में वांछित एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र 04 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र।

्रीहापूड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांक : २८८७ / / ५ - | दिनांकित |

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक किर्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वैनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

#### FORM-1

(for plantations on non-forest land and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[(Rule 013) (C) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of UTTAR PRADESH
Office of District Collector HAPUR
No. 36.06..... Dated 12.5. 2022

#### TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016) it is certified **0.7900 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Indraprastha Gas Limited project for Laying of 12" NB Carbon Steel Gas Pipeline, 125 mm MDPE & 50 mm Duct in same trench along NH - 24 (New NH - 9) (Delhi - Lucknow Road) from Km. 34.00 to Km. 49.800. Total Km. 15.80 & 0.7900 Ha. in Forest Division Hapur, District Hapur-UP. in the district falls within Jurisdiction of **HAPUR District** village(s) **Lakhan, Gironi, Pilakhuwa, Doohri, Anwarpur, Pipla, Bandpur, Nizampur – 0.7900** in **HAPUR** tehsil having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011.

#### It is further certified that -

- (a) The Protected Forest (s) namely NH-24 (New NH-9) (Delhi-Lucknow Road) involved in the above villages are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no (s) 1115 / XIV-331-50, Dt. 10-02-1960.
- (b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

District Social Welfare Officer

जिला समीजि कल्याण अधिकारी

मामाय जहां प्रमादित अस्ट वन प्रमादित Additional District Magistrate
Hapar M. (F/R)

District Magistrate भेटा रूपम

ि**म्लाधि**कारी हापुड्



(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref.:- IGL/PIPELINE/EAST/UP/HAPUR/FOREST/17

Date:- 03.07.2021

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी. हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़, उत्तर प्रदेश।

विषयः

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—24 (नई संख्या—09) (दिल्ली—लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे0 तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम0डी0पी0ई0 गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में। ऑनलाईन प्रस्ताव सख्या FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

आपका पत्रांक संख्या — 3794/14—1, दिनांक हापुड, 05—06—2021 तथा पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2, उ०प्र० <u>शासन, का पत्रांक संख्या — पी-77 / 81-2-2021-800(73) / 2021 दिनॉक- 08.04.2021 ।</u>

महोदय.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार निस्तारण:-

क्रमांक	21-111-11	
300	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया	याचक विभाग द्वारा वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।
	जायेगा।	इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	सी0एन0जी0 / पी0एन0जी0 पाइप लाइन / मार्गो	याचक विभाग द्वारा सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन /
	/ सड़को / वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त	मार्गौ / सड़को / वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के
	रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे।	किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी।
		इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	सी०एन०जी० / पी०एन०जी० पाइप लाइन हेतु खोदी	याचक विभाग द्वारा सी०एन०जी० / पी०एन०जी० पाइप लाइन
	गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.0 मीटर और	हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.0 मीटर और
	चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक न होगी।	चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।
		इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस	याचक विभाग द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट
	तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण	कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो
	की सम्भावना न हो।	इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
		इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन	
5	विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से
	विभाग से अंगुनात प्राप्त का जायगा।	अनुमति प्राप्त की जायेगी।
		इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः	याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल
	लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की	स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की
	प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित	प्रतिपूर्ति के बारे लिखित सहमति दी जायेगी।
	सहमति दी जायेगी।	इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से	याचक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन
	पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	विभाग से अनुमित ली जायेगी
	, page 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 197	इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhimulo Centre, Sector - 9, New Delhimulo Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhimulo Centre, Sector -

CIN: L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 Certified Organisation

INDRAPRASTHA GAS LIMITE "IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,



8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भॉति यथावत् बना रहेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या —566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority), में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उठ्याप्त, उठ्याप्त, के पत्र सं० — 3794/14—1, दिनांक हापुड़, 05—06—2021 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.7900 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशी रु 4,94,540/— (चार लाख चौरानवे हजार पांच सौ चालीस रूपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 28.06.2021 को जमा करा दी गयी है तथा ऑन—लाइन चालान की प्रति संलग्न है।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापित्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा भू—स्वामित्व वाले विभाग से अनापित्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग—अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नही है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रकियाधीन हैं।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11—9/98—एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू—संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	याचक विभाग द्वारा भू—संदर्भित डिजीटल डाटा / मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

Sr. Vice President Community Centres Sector 9, R.K. Puram Community Centre, Sector 9, R.K. Puram Community Centre, Sector 9, R.K. Puram New Delhi-110 022

Continuation Sheet .....



70.00		
	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी / नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी / नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
	समस्त वैधानिक / प्रशानिक अनापित्त प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापित्त प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
	परेयोजना में 12 इंच (300 एमएम) गैस पाइप लाइन विछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हैं हैं , उ०प्र०, के पत्र सं० — 3794/14—1, दिनांक हापुड़, 05—06—2021 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.7900 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशी रु 4,94,540/— (चार लाख चौरानवे हजार पांच सौ चालीस मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 28.06.2021 को जमा करा दी गयी है तथा ऑन—लाइन चालान की प्रति संलग्न है।
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा वि	संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:—
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	सी0एन0जी0 / गैस पाइप लाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाइप लाईन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।	याचक विभाग द्वारा उ० प्र० शासन की पत्र सं०—जी०आई०—196 / 14—2—2010—1017 / 10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद में किसी एक स्थान पर कुल 20 कि.मी. तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु रू० 93,60,000 / —(तिरानवे लाख साठ हजार मात्र) ड्रॉफ्ट सं० 017022 (रू 90,00,000 / —) एवं 017024 (रू 3,60,000 / —) दिनांक 07.07.2010 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद में जमा करा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।
र्ग वि स र र र र र र र र र र र र र र र र र र	ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाइप लाईन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइप लाईन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 5 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	याचक विभाग, सी०एन०जी० /पी०एन०जी० गैस पाइप लाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनी है जो लगातार गैस पाइप लाईन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश है। अतः लागू नहीं होता है।
	9	

Sr. Vice President (Projects)

Sr. Vice President (Projects)

INDRAPRASTHA GAS, I.M. 4, PURAN

INDRAPRASTHA SECTOR-9, RK. PURAN

COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, RK. PURAN

NEW DELHI-110 022

Continuation Sheet .....



19	उपरोक्त के अतिरिक्त समय—समय पर केन्द्र	याचक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ वचनबद्धता संलग्न है।
=	सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये	0
	गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया	
	जायेगा।	
बिन्दू सं0 — 3	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे
	स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता	कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जो कि प्रस्ताव
	एजेन्सी के पास गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु वैध व	के साथ संलग्न है।
985	अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिये उन्हें	and the second of the second o
	सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के	प्रस्ताव के साथ सुसंगत प्रमाण पत्र संलग्न है।
	अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान	
	किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन	
	संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की	
20	रिपोर्ट / संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही	
	है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दू पर तथ्य छुपाये	
	जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में	
	आने पर मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी स्वयं	
2	उत्तरदायी होंगे।	

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मार्ग की अनुमति जारी करने की कृपा करे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

INDRAPHAWAN SECTOR-9, R.K. PURAM "IGL BHAWAN" SECTOR-9, R.K. PURAM COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM NEW DELHI-110 022

Continuation Sheet .....



(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापूड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे0 तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम0डी0पी0ई0 गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

## वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दु सं0-1

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़, वन प्रभाग

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

COMMUNITY CENTRE, SECTOR 9, R.K. PURAM

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022 Phone: 46074607 Fax: 26171863 Website: www.iglonline.net

CIN: L23201DL1998PLC097614



(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—24 (नई संख्या—09) (दिल्ली—लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 है0 तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

# वचनबद्धता प्रमाण—पत्र, बिन्दू सं0—2

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन / मार्गों/सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–िकनारे ही बिछायी जायेगी।

C-5

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

INDRAPRANANT PLOT NO.

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022 Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN: L23201DL1998PLC097614



(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—24 (नई संख्या—09) (दिल्ली—लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे0 तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

# वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-3

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सी०एन०जी० / पी०एन०जी० पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.0 मीटर और चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।

CS

प्रभागीय वेनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेइ

्याधिकृत इस्तां सर्कता

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022 Phone: 46074607 Fax: 26171863 Website: www.iglonline.net

CIN: L23201DL1998PLC097614



(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—24 (नई संख्या—09) (दिल्ली—लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे0 तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम0डी0पी0ई0 गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

# वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-4

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू—क्षरण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

C-S

भागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

ST. VICE PRESIDE GARANTAN PL

COMMUNITY CENTRE, SEC

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022 Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN: L23201DL1998PLC097614



(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—24 (नई संख्या—09) (दिल्ली—लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे0 तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम0डी0पी0ई0 गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–5

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमित प्राप्त की जायेगी।

C-S

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ा वन प्रभाग हापुड़ कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

IMDRAPRAMAN SELHI IMDRAPRAMBELHI MUNIT NEW DELHI

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022 Phone: 46074607 Fax: 26171863 Website: www.iglonline.net

CIN: L23201DL1998PLC097614



(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—24 (नई संख्या—09) (दिल्ली—लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे0 तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम0डी0पी0ई0 गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

# वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-6

याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में वचनवद्धता दी जाती है।

CS

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्माक्षरकर्ता

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022 Phone: 46074607 Fax: 26171863 Website: www.iglonline.net

CIN: L23201DL1998PLC097614



(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—24 (नई संख्या—09) (दिल्ली—लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे0 तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

## वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-7

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

INDRAPRAST OF OT NO. 4



(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—24 (नई संख्या—09) (दिल्ली—लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे0 तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–8

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।

C-S

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

ST. VICE President GAS I.I ST. VICE PRESTHA GAS I.I INDRAPRASTHA SECTOR9, INDRAPRASTHA SECTOR9, INDRAPRASTHA SECTOR9,

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022 Phone: 46074607 Fax: 26171863 Website: www.iglonline.net

CIN: L23201DL1998PLC097614



(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—24 (नई संख्या—09) (दिल्ली—लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे0 तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम0डी0पी0ई0 गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

# वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-16

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक / प्रशानिक अनापित प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

C3

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़, वन प्रभाग

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

INDRIGL BHENTRELLY

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022 Phone: 46074607 Fax: 26171863 Website: www.iglonline.net

CIN: L23201DL1998PLC097614

संजय सिंह. विंशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

प्रमुख वन संरक्षक. • उत्तर प्रदेश, ः लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लंखनंड दिनॉक ७७ जनवरी 2011

विषय: सी०एन०जी०/गैस पाइप लाइन विछाने पर २० किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराचे जाने के शासनादेश में संशोधन।

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-639/14-2-2009, दिनांक 25-6-2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-689/14-2-2009, दिनांक 25-6-2010 में निम्नवर्त् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (1)- सी०एन०जी०/गैस पाइप लाइन विछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाईप लाइन विछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय,शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है,उस कम्पनी से पूर्व की भाति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी०तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत् लागू रहेगी।
- (2)- ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाईप लॉइन के द्वारा केवल शहर में गैस प्रमानिया, जा गस् पाइप लाइन क झारा कवल शहर में गस आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात जिस्का दायरा एक शहर जोता है, उस कमानी होने कार्य लग्ना जीता जिस्का दायरा एक शहर वर्णित लोतेपूरक वृक्षारोपाण के अट्रता अज्ञान्यत्व। दुचुरे अपनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में सतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त कप से उपलब्ध करीते हैं निर्देशित समरामा के दास नारी शरामारेश रूप से उपलब्ध करोंने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रयमतवा शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उक्त संदर्भित शासनादेश संशोधित पढ़ा जाय।

भवदीय.

(संजय सिंह) विशेष सचिव।

#### संख्या व दिनांक तदेव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत

इमस्त नुख्य वन संदक्षक, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

4- गार्ड फाइल ।

NOW

Sr. Vide President (Projects) STHA GAS LIMITED INDRAPRASTHA GAS LINDRAPRASTHA LINDRAPRASTHA GAS LINDRAPRASTHA GAS LINDRAPRASTHA GAS

प्रभागीय वनाधिकारी

हापुड़ वन प्रभाग

101

### INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NC ( of Delhi)

Ref: IGL/PNG/STEEL/FOREST/ 1976

Date: 7 July 2010

To.

District Forest Officer Sec 23 Sanjay Nagar Ghaziabad

Kind Attn: Mr. Yashpal Malik

Subject: Laying of 12"/16"/18", 26.6 Km Gas Pipeline from GAIL SV-1 (Behind Dasna Jail) on Dadri Bawana Pipeline to GAIL SV-1 at Ginzipur

Dear Sir,

This is reference to your letter No 74/22-1 Dated 3-July-2010 for planting three row of trees in twenty Kilometer and administrative cost @ 4 % for planting the trees for amount of Rs.93.60,000/- (Rupees Ninety Three Lacs Sixty Thousand Only).

Enclosed please find demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/-for planting three row of trees in twenty Kilometer and draft No.017024 dated 7-July 2010 of Rs.3,60,000/- against administrative cost @ 4 % in favour of "Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad.

We therefore request you to provide the permission for laying the pipeline in order to commence the project or national & environmental importance at the parliest.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

Thanking You,

Yours Sincerely,

Vikas Bansal Chief Manager 7/7/10

CD 923

प्रभागीय वनाधिकारी हापुडु वन प्रभाग

हापुड़ वन

Encl: Demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/

कं।यांलय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियावाद 74 / 22-1 दिनांक गाजियाबाद 🖰 जुलाई. 2010

सेवा में.

मुख्य प्रबन्धक. इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आई०सी०एल० भवन, प्लाट नं0-4, आर0के० पुरम, सेक्टर-9, नई दिल्ली।

विषयः गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोहन नगर चौड़ाहे से महामाया स्टेडियग तक तथा हापुड़ चुंगी से डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित।

संदर्भः उ०प्र० शासन की पत्र सं०-जी०आई०-196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010

महोदय,

तगरोक्त संदर्भित शासनादेश जो मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्ठांकित किया गया है के विन्दु सं0-15 के क्रम में प्रस्तावक विभाग इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा। उक्त के क्रम में 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि का झापट प्रभागीय निदेशक, सानाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम से भेजने का कष्ट करें ताकि उवत धनराशि से वृक्षारोपण कराया जा सके। धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :--

	विवरण	दर प्रति कि0मी0	बांछित धनराशि
क्र0स0	20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण	হ্ন০ 4,50,000/-	₹0 90,00,000 / -
	And the same of th		<b>表: 3,60,000/</b>
2 प्रशासनिव	प्रशासनिक व्यय कुल योग :		হ্ন০ 93,60,000/-

भवदीय

प्रभागीय निदेशक सामापिक वानिकी प्रशाग,

गाजियावाद

COMMUNITY CENTRE, NEW DEI

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़, वन प्रभाग

leace chalantitation (ext

#### AGENCY COPY

#### NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date: 07-06-2021

Agency Name.	INDRAPRASTHA. GAS LTD.
Application No.	7253780267
State Code.	DL
Address.	IGL Bhawan, Plot No 4, Community Centre, R. K. Puram, Sector - 9, New DelhiSouth West
Amount(in Rs)	494540/-

Amount in Words :Four Lakh Ninety-Four Thousand Five Hundred and Forty Rupees Only

### NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP7253780267
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date: 07-06-2021

Agency Name.	INDRAPRASTHA. GAS LTD.			
Application No.	7253780267			
State Code.	DL			
Address:	IGL Bhawan, Plot No 4, Community Centre, R. K. Puram, Sector - 9, New Delhi South West			
Amount(in Rs)	494540/-			

Amount in Words :Four Lakh Ninety-Four Thousand Five Hundred and Forty Rupees Only

### NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP7253780267
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

Print

Back

प्रभागीय वनाधिकार हापुड़। वन प्रभाग हापुड़ Sr. Vice Prisident or jects)

Sr. Vice Prisident or jects)

INDRAPRAS I JA GAS I JIMITED

INDRAPRAS SECTOR 9. R.K. PURAM

COMMUNITY CENTRE, SECTOR 9. R.K. PURAM

NEW DELHI-110 022

6 C A Novembel Greatsclearance nicing January Co

Eleman de colore de la presenta de la colore del la colore della color

n × 0 :

E Perring to



"Pro Active and Responsive focatation by Interactive Visuals and Fortenments Security U.S.

ristry of Environment, Forest and Climate Change Government of India



My Account • My Proposals Environment Clearance • Only CR2 Clearance • My Proposals Forest Clearance • My Proposals Widdle Clearance • Helica

6.4832 PM ≡

- Help

	111111111111111111111111111111111111111	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Pa	eid/Amount Pal	d (in Rs.)		Payment Status	Payment Detail		Demand Letter
Maderia (es Lotes	PEPELINES37802030257	7253780267	03 Apr 1021	CA: PCA: Salety Zone:	ů-, ů-,	Addi (A : CAT : Addi PA :	0/- c/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On	:07 Jun 2021	Funding
inged for Laving of 12" No Barton Shell Gas Popeline. 115 ame beech along her 24 hear Not 9) (Delh - Lucinox sed) from Km. 34.05 m Km. 9.00. Total Km. 15.00 m 2.00. Total Km. 15.00 m 2.00. Desiric Hapur-10".				NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	534542 + 1 5 - 1 5 - 1 5 - 45454 3 - 1	Other Charges:	*		Bank Name Hode of Payment Challan Generated On Transaction Date	Tuber Seek of Insta 1967 (RTGS (Chalan) 107 Jun 2021 128 Jun 2021	Grand Cuts
USI Vigentine Sed - 2020 diaprisithe Ges Limited Gleaf for Leging of 12° (200 m) Carbon Sede Gas Poeline ong Hen - 19 (Kangur - Nagaraj Kasa) from Cin 8-00 to Nim. 507.500. Todal oz 15:00 40450 from m 21° Descrit - Kanpur Magar Las Dissurt - Kanpur Magar	-Full-E-404(2026)	725404267		CA: PCA: Safety Zone: rafty: Other Charges1: Other Charges2: Other Charges3: Total:	한 : 살 : 산 : 선 : 선 : 선 : 보 :	Add CA: CAT: Add PA: Other Charges:	후· 참· 참·	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Hame Hode of Payment Challan Generated On Transaction Date	:08 Apr 2021 .Union Bank Of Incie :08FT/RTCS (Chatter) :08 Apr 2021 :12 Apr 2021	Demind Letter Serve and Change

Online payment history made by User Agency under CAMPA

JO Type here to search

0 日 @ 歳 # 5 画 9 13 天 3

^ 夏 € ■ 底 切 ENG 2048 | 02-07-2021 |

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ ST. VICE President (170) ST. VICE President (170) ST. MITED

ST. V